

//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला झाबुआ (म.प्र.)//

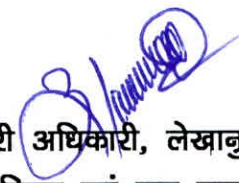
क्रमांक/ 1070 /लेखा/17

झाबुआ, दिनांक 28 /11/17

नीलाम विज्ञप्ति

जिला न्यायालय, झाबुआ के आधिपत्य का अनुपयोगी शासकीय वाहन TATA INDIGO GLX क्रमांक MP02/AV-1850 की (जहां है, जैसी स्थिति में है) नीलामी दिनांक 05/12/2017 को प्रातः 11.00 बजे नीलाम किया जाना है।

उक्त शासकीय वाहन का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रु. 60,000/- (शासकीय बोली) नियत है। उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ के नाम से देय राशि रु. 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारात अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।


प्रभारी अधिकारी, लेखानुभाग,
वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ (म.प्र.)

//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला झाबुआ (म.प्र.)//

क्रमांक/ 1079/लेखा/17

झाबुआ, दिनांक 28 /11/17

नीलामी की शर्तें

शासकीय वाहन TATA INDIGO GLX क्रमांक MP02/AV-1850 की नीलाम संबंधी कार्यवाही की निम्नांकित शर्तें नियत हैं :-

12. शासकीय वाहन क्रमांक MP02/AV-1850 TATA INDIGO का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रु. 60,000/- (शासकीय बोली) नियत है।
13. अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन क्रमांक MP02/AV-1850 TATA INDIGO की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
14. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।
15. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलाम के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
16. नीलाम के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
17. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रमांक MP02/AV-1850 TATA INDIGO को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
18. अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रमांक MP02/AV-1850 TATA INDIGO को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि जमाकर, वाहन का उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
19. संबंधित शासकीय वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन दिवस/समय में, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ में उपस्थित होकर किया जा सकता है।
20. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलाम में उपस्थित होकर वाहन को क़य करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलाम संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकर कर ली गई हैं, ऐसा माना जावेगा।
21. अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रमांक MP02/AV-1850 TATA INDIGO को क़य करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय झाबुआ से अपने अधिपत्य में लेकर जाना होगा।
22. अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रमांक MP02/AV-1850 TATA INDIGO को विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण ज़वाबदारी क्रेता की होगी।

प्रभाषी अधिकारी, लेखानुभाग,
वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ (म.प्र.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक सी/4784 /
(चार-4-15/70 झाबुआ)

जबलपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2017

प्रति,

✓ जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ (मोप्र0)

विषय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को आबंटित शासकीय वाहन TATA INDIGO GLX क्रमांक **MP 02 AV 1850** को अनुपयोगी घोषित कर, नीलाम किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्रमांक 1052/लेखा/2017, दिनांक 16.11.2017.

----- 000 -----

यथानिर्देश, उपरोक्त विषय में संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को आबंटित शासकीय वाहन TATA INDIGO GLX क्रमांक **MP 02 AV 1850** को रजिस्ट्री द्वारा जारी नियमों/निर्देशों, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ. 22-223/2002/आठ, दिनांक 23.07.2002 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ.16-82/2004/एक/7-1/स्था0, दिनांक 26.04.2004 तथा शासन के नवीन नियमानुसार अनुपयोगी घोषित कर, नीलाम किये जाने की प्रशासकीय अनुमति प्रदान की जाती है। यह भी निवेदन है कि वाहन की नीलामी उपरांत चालान की प्रति रजिस्ट्री को प्रेषित करें।

A
सहा
कोटि
23-11-17

पृ0क्र0 सी/4785 /
(चार-4-15/70 झाबुआ)

22.11.17
[सनत कुमार कश्यप]
रजिस्ट्रार (डी0ई0)

जबलपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि :-

रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Sd/-
[सनत कुमार कश्यप]
रजिस्ट्रार (डी0ई0)



COMMERCIAL AUTOMOBILES PVT. LTD.
TATA JABALPUR - 481 005, INDIA



Indigo GLX

IND MP02A V1850

